

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**राज्य कर अनुभाग-4**  
**संख्या- 58 /2026/1/ 1450275 /2026/11-4099/47/2024**  
**लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर, 2026**

**शुद्धि-पत्र**

शासनादेश संख्या-54/2026/1/1411533/2026/11-4099/47/2024, दिनांक 28.07.2026 (प्रति संलग्न) द्वारा जनपद-कासगंज में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु पीओएफओडीओ द्वारा आंकलित लागत रु0 597.05 लाख के सापेक्ष परियोजना की निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर लागत) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत पूंजीपक्ष के लेखाशीर्षक 4059-01-051-13-07-जनपद कासगंज में मण्डल स्तरीय कार्यालय भवन का निर्माण के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य मद प्रावधानित धनराशि में से प्रश्नगत परियोजना हेतु अवशेष धनराशि/अंतिम किश्त के रूप में रु0 55.37 लाख (रुपये पचपन लाख सैंतीस हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन निर्गत की गयी है।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 28.07.2026 के पृष्ठांकन प्रति संख्या-6 में “मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ” अंकित है।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 28.07.2026 के पृष्ठांकन प्रति संख्या-6 में उल्लिखित “मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ” के स्थान पर “मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ” पढ़ा व समझा जाय।

4- शासनादेश संख्या-54/2026/1/1411533/2026/11-4099/47/2024, दिनांक 28.07.2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

**संलग्नक-यथोक्त।**

Digitally signed by  
ARVIND SINGH  
Date: 02-09-2026 13:22:16

**(अरविन्द सिंह)**

उप सचिव।

**संख्या व दिनांक-यथोक्त।**

**प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उओप्रओ, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उओप्रओ, प्रयागराज।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, अलीगढ़ जोन, अलीगढ़।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, 30प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कासगंज/अलीगढ़।
8. मुख्य अभियंता, निर्माण खंड (भवन विंग), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
11. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, 30प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
ह0/  
(अरविन्द सिंह)  
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।